REC Limited | आर ई सी लिमिटेड
(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)
पंजीकृत कार्यालयः कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. आई–4, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास,सेक्टर–29, गुरुग्राम–122001(हरियाणा)
दूरभाषः +91 124 444 1300 | वेबसाइटः www.recindia.nic.in
सीआईएनः L40101DL1969GOI005095 | जीएसटी नं.: 06AACR4512R3Z3

असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

एसईसी-1/187(2)/2026/2844 **दिनांक:16 मई, 2026**

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051	**कॉर्पोरेट संबंध विभाग** बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई – 400 001
स्क्रिप कोड-RECLTD	**स्क्रिप कोड-532955**
Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla C omplex, Bandra (East), **Mumbai-400 051.**	**Corporate Relationship Department** BSE Limited 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, **Mumbai - 400 001.**
Scrip Code-RECLTD	**Scrip Code-532955**

विषय: 16 मई, 2026 को आयोजित बोर्ड बैठक का परिणाम।

महोदय/ महोदया,

आज संपन्न हुई निदेशक मंडल की बैठक के अनुसार निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत है:

1) यह हमारे दिनांक 13 मई, 2026 के उस पत्र के क्रम में आगे की कार्रवाई है, जिसके माध्यम से कंपनी के अंतर्नियमों के प्रावधानों के अनुसार, अन्य विषयों के साथ, आरईसी लिमिटेड ('आरईसी') और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('पीएफसी') के विलय से संबंधित मामले पर विचार और चर्चा करने के लिए बोर्ड बैठक की तिथि की सूचना दी गई थी।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसरण में, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि निदेशक मंडल ने आज आयोजित अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अनुसरण में पीएफसी में आरईसी के विलय के प्रस्ताव को भारत के माननीय राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए (जैसा कि इसके अंतर्नियमों द्वारा अपेक्षित है) सुरक्षित रख लिया है; और इस उद्देश्य के लिए विधिवत नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निर्धारित किए जाने वाले शेयर विनिमय अनुपात के आधार पर तथा विलय की गई इकाई का 'सरकारी कंपनी' के रूप में दर्जा बनाए रखने की शर्त के अधीन, पीएफसी में आरईसी के उक्त प्रस्तावित विलय के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति के समक्ष आवेदन करने और उनका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आरईसी के सीएमडी को अधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान की है; प्रत्येक मामले में, यह लागू विधि नियमो के अनुसार और निदेशक मंडल के अंतिम अनुमोदन तथा आवश्यकतानुसार अन्य ऐसी सहमतियों, अनुमोदनों और अनुमतियों की प्राप्ति के अधीन एवं ऐसी अन्य शर्तों के आधार पर होगा जिन्हें उपयुक्त समझा जाए ।

लागू विधि नियमों के तहत विलय को विधिवत मंजूरी मिलने और इसके प्रभावी होने पर, आरईसी की सभी आस्तियां और देयताएं पीएफसी को स्थानांतरित कर दी जाएंगी, तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के प्रावधानों के अनुसार आरईसी का विघटन हो जाएगा

क्षेत्रीय कार्यालय : बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा
राज्य कार्यालय : वडोदरा, वाराणसी
प्रशिक्षण केंद्र : आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद

2) इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों/परिपत्रों के अनुसार, 17 मई, 2026 से अधिवर्षता की तिथि अर्थात् 30 जून, 2028 तक की अवधि के लिए, **महाप्रबंधक (वित्त) के रूप मे श्री मोहम्मद एजाज़ अली को आरईसी के मुख्य अनुपालन अधिकारी** नियुक्त करने की स्वीकृति दे दी है। अन्य आवश्यक विवरण इसके साथ **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न हैं।

बोर्ड की बैठक शाम 04:00 बजे शुरू हुई और शाम 04:35 बजे संपन्न हुई।

यह आपकी जानकारी के लिए है ।

धन्यवाद ,

भवदीय,
कृते आरईसी लिमिटेड
Digitally Signed

(दिनेश गर्ग)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

उपरोक्तानुसार संलग्न ।

अनुलग्नक -1

क्रम सं	**विवरण**	**ब्यौरा**
1.	परिवर्तन का कारण	कंपनी के मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में महाप्रबंधक (वित्त) श्री मोहम्मद एजाज़ अली की नियुक्ति।
2.	नियुक्ति की तिथि	17 मई, 2026 से प्रभावी
3.	संक्षिप्त विवरण	श्री मोहम्मद एजाज़ अली के पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त) में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है।
4.	निदेशकों के बीच संबंधों का प्रकटीकरण	लागू नहीं